



दवाला और शोधन अक्षमता संहति, 2016 पर चर्चाएँ

प्रलिस के लयः

[दवाला और शोधन अक्षमता संहति \(IBC\) 2016](#), [राष्ट्रीय कंणी कानून नयायाधकरण](#), [वत्तीय सथरता रपौरट \(FSR\)](#), [भारतीय रज़रव बैंक \(RBI\)](#), [भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोरड](#)

मेन्स के लयः

IBC के सामने आने वाली चुनौतयँ, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना से संबंघत मुद्दे, संसाधन जुटाना, वृद्धि, वकिसा और रोजगार ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यौं?

[दवाला और शोधन अक्षमता संहति \(IBC\)](#) कई उद्देश्यौं को पूरा करने के लयः वर्ष 2016 में लागू हुई, जसमें देनदार की संपत्तः के मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमता को बढ़ावा देना, मामलौं का समय पर समाधान सुनिश्चतः करना और हतःधारकौं के हतःतौं को संतुलतः कयःा जाता है ।


- हालाँकः, हाल के घटनाक्रमौं ने इस संहतः की प्रभावशीलता और समाधान प्रक्रयः के बारे में चर्चाएँ बढ़ा दी हैं ।

IBC के साथ प्रमुख मुद्दे क्यः हैं?

- न्यून पुनर्भुगतान प्रतःशतः
 - वर्ष 2023 में [भारतीय रज़रव बैंक \(RBI\)](#) द्वारा जारी [वत्तीय सथरता रपौरट \(FSR\)](#) के अनुसार, रज़रवल्यूशन योजना अनुमोदन प्रक्रयः में आम तौर पर करेता द्वारा केवल 15% भुगतान शामिल होता है और [पुनर्भुगतान में बैंकौं द्वारा कसःी भी अतरःकःतः ब्याज के बःना वर्षौं लग सकते हैं](#) ।
 - इससे पुनर्भुगतान प्रक्रयः की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं ।
- नपःटान और पुनर्प्राप्तःतः
 - हाल के नपःटान और समाधान, जैसे कः रलःयंस कःम्युनकःशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लमःटेड (RCIL) मामले ने कम नपःटान राशःतः तथा वसःतारतः समाधान अवघः के कारण चर्चाएँ बढ़ा दी हैं ।
 - उदाहरण के लयः RCIL के नपःटान की [राशः ऋण का मात्र 0.92%](#) थी और समाधान योजना को पूरा करने में चार वर्ष लग गए, जो [नरःधारतः अधिकतम 330 दःनौं से कहीं अधिक](#) था ।
 - वत्तीय ऋणदाताओं (FC) को आदर्श रूप से मूलधन और ब्याज मलःना चाहयःे ।
 - चूक की पहचान करने और उसे स्वीकार करने में समय लेने वाली प्रक्रयःएँ पुनर्प्राप्तःतः दरौं को कम करने में योगदान करतःी हैं । यह समाधान [कार्यवाही को समय पर शुरू करने](#) में बाधा उत्पन्न करता है, जससे पुनर्प्राप्तःतः दर कम हो जाती है ।
- हेयर कट्स और पुनर्प्राप्तःतः दरेंः
 - "हेयरकट्स" की अवधारणा, जसमें [ऋण और अर्जतः ब्याज को बट्टे खाते में डालना](#) शामिल है, ने प्रमुखता प्राप्त कर ली है ।
 - प्रमोटर अपनी कंणी को [शोधन करमचारयःौं के पास ले जाकर और बैंकौं/ \[राष्ट्रीय कंणी कानून नयायाधकरण \\(NCLT\\)\]\(#\)](#) से पर्याप्त छूट प्राप्त करके लाभ उठा रहे हैं ।
 - समाधान के बाद, [उधारकर्त्ता और दवाला पेशेवर \(IP\) अमीर/धनी बने रहते](#) हैं, जबकः ऋणदाताओं को नुकसान होता है तथा बैंक देनदारी से मुक्त हो जाते हैं, क्यौंकः [केवल कंणयःौं को दवालःया घोषतः कयःा जाता है, मालकःौं को नहीं](#), जससे जमाकर्त्ताओं को नुकसान होता है ।
 - इसके परिणामस्वरूप [वत्तीय ऋणदाताओं को प्राप्त होने वाली वसूली दर कम](#) हो गई है तथा कुछ मामलौं में बकाया ऋण का केवल 5% ही प्राप्त हुआ है ।

Code Red

In RCom, against debtors' claims of ₹49,668 cr., the NCLT admitted only ₹47,251 cr. The settlement was just ₹455.92 cr.



■ वसूली योग्य मूल्य:

- वर्ष 2023 में **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** द्वारा जारी **FSR** लेनदारों के लिये कम वसूली योग्य मूल्य प्राप्त होने के मुद्दे को उजागर करता है जिसमें बैंक अथवा वित्तीय लेनदार बड़े कॉर्पोरेट्स के NCLT द्वारा नपिटाए गए मामलों में औसतन केवल 10-15% की वसूली करते हैं। हालाँकि RBI का कहना है कि लेनदारों को **परसिमापन पर प्राप्य मूल्य (Liquidation Value) का 168.5% तथा उचित मूल्य का 86.3%** मिलता है।

- FSR के अनुसार 597 परसिमापन में से ₹1,32,888 करोड़ के दावे की तुलना में **वसूल हुई राशि स्वीकृत दावों का 3%** थी।
- जबकि बैंक कसानों, छात्रों, MSME तथा आवासीय ऋण पर नवीनतम ब्याज़ लेते हैं, जिसमें देरी की स्थिति में **जुरमाना ब्याज भी शामिल है और साथ ही संबद्ध स्थिति कॉर्पोरेट्स के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है।**

- परसिमापन से प्राप्त राशि भी न्यूनतम रही है, जिससे पुनर्प्राप्त प्रक्रिया संबंधी चिंताएँ बढ़ गई हैं।

■ वनियामक चिंताएँ:

○ वनियामक रिपोर्टें:

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report- FSR) में **कॉर्पोरेट ढविला समाधान प्रक्रिया (Corporate Insolvency Process- CIRP)** संबंधी कई मुद्दे उजागर होते हैं।
 - रिपोर्ट के अनुसार **स्वीकृत दावे बकाया से कम** हैं तथा बैंक अथवा वित्तीय ऋणदाता परसिमापन पर प्राप्य मूल्य व उचित मूल्य का केवल एक अंश ही वसूल कर पा रहे हैं।

■ संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट:

- वर्ष 2023 में **संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee)** की 32वीं रिपोर्ट में कम वसूली दर से संबंधित चिंता को उजागर किया गया है जिसमें 95% तक की कटौती एवं 180 दिनों से अधिक समय से लंबित 71% से अधिक मामलों के साथ समाधान प्रक्रिया में देरी स्पष्ट रूप से संसद द्वारा संहिता के मूल उद्देश्य तथा **रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनलस (RP) और इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनलस**

(IP) से संबंधित मुद्दों से वचिलन की ओर इशारा करती है । ।

- यह ऋणदाताओं की समिति (Committee of Creditors- COC) के लिये एक पेशेवर आचार संहिता की आवश्यकता और हेयरकट/मार्जनि की सीमा तय करने की भी सफ़ारिश करता है ।

■ **समिति न्यायिक बेंच कक्षमता:**

- न्यायाधीशों की कमी के कारण IBC समाधान प्रक्रिया बाधित होती है जिसके परिणामस्वरूप मामले के नपिटान में देरी आती है । जिसके परिणामस्वरूप मामले के नपिटान में देरी लगती है ।

दवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

■ **परिचय:**

- दवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 कंपनियों, व्यक्तियों एवं साझेदारियों के दवालियपन को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है ।
 - दवाला एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी व्यक्तिया संगठन की देनदारियाँ उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती हैं और वह संस्था अपने दायित्वों या ऋणों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नकदी जुटाने में असमर्थ होती है क्योंकि उनका भुगतान बकाया हो जाता है ।
 - दवालियपन तब होता है जब किसी व्यक्तिया कंपनी को कानूनी तौर पर उनके देय और देय बलों का भुगतान करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाता है ।
- **दवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021** दवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में संशोधन करता है ।
 - इस संशोधन का उद्देश्य कूट के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये एक कुशल वैकल्पिक दवाला समाधान ढाँचा प्रदान करना है ।
 - इसका लक्ष्य सभी हतिधारकों के लिये त्वरित, लागत प्रभावी और परिणाम सुनिश्चित करना है ।

■ **उद्देश्य:**

- देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना ।
- उद्यमिता को बढ़ावा देना ।
- मामलों का समय पर एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना ।
- सभी हतिधारकों के हितों को संतुलित करना ।
- प्रतस्पर्द्धी बाज़ार और अर्थव्यवस्था को सुगम बनाना ।
- सीमा पार दवालियपन मामलों के लिये एक रूपरेखा प्रदान करना ।

■ **IBC कार्यवाही:**

- **भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI):**
 - IBBI भारत में दवाला कार्यवाही की देखरेख करने वाले नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है ।
 - इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं ।
 - IBBI के अध्यक्ष एवं तीन पूर्णकालिक सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा वे वित्त, कानून और दवालियपन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं ।
- **कार्यवाही का नरिणय:**
 - राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) कंपनियों के लिये कार्यवाही का नरिणय करता है ।
 - ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) व्यक्तियों के लिये कार्यवाही संभालता है ।
 - समाधान प्रक्रिया की शुरुआत को मंजूरी देने, पेशेवरों की नियुक्ति करने और लेनदारों के अंतिम नरिणयों का समर्थन करने में अदालतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ।
- **संहिता के तहत दवाला समाधान की प्रक्रिया:**
 - डफॉल्ट पर देनदार या लेनदार द्वारा शुरू किया गया ।
 - दवाला पेशेवर प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं, लेनदारों को वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं और देनदार परसंपत्ति प्रबंधन की देखरेख करते हैं ।
 - 180 दिनों की अवधि समाधान प्रक्रिया के दौरान देनदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाती है ।
- **ऋणदाताओं की समिति (CoC):**
 - दवाला पेशेवरों द्वारा गठित, CoC में वित्तीय ऋणदाता शामिल हैं ।
 - CoC बकाया ऋणों के भाग्य का नरिधारण करती है, ऋण पुनरुद्धार, पुनर्भुगतान अनुसूची में बदलाव या परसंपत्ति परसिमापन पर नरिणय लेती है ।
 - 180 दिनों के भीतर नरिणय न लेने पर देनदार की संपत्ति परसिमापन में चली जाती है ।
- **परसिमापन प्रक्रिया:**
 - देनदार की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को नमिनलखित क्रम में वितरित किया जाता है:
 - पहला दवाला समाधान लागत, जिसमें दवाला पेशेवर का पारश्रमिक शामिल है, दूसरा सुरक्षा लेनदार, जनिके ऋण संपाश्रवक द्वारा समर्थित हैं और तीसरा श्रमिकों, अन्य कर्मचारियों का बकाया, अगला असुरक्षा लेनदार ।

आगे की राह

- समाधान योजनाओं में उच्च पुनर्भुगतान प्रतशित सुनिश्चित करने के उपाय लागू करें । इसमें योजनाओं को मंजूरी देने के लिये कठिन मूल्यांकन मानदंड, क्रेता द्वारा पर्याप्त अग्रिम भुगतान की आवश्यकता पर बल देना और समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है ।

◦ कसलल एक कलरपोरेल घरलने के ललतल ःरण की अधकलतल सीलल 10,000 करोड रुडल ललगू करने कल RBI कल नरुणलड डडूटे खलते डें डललने के डूरलन डैकू के डुडू को कड करने के ललतल डहतूतूडडूरूण है।

- ःकू डूल उदूदेशू डूरे नहूँ हुए हैं इसललतल **IBC** और **NCLT** की डूरूण सडूकषल की ततूतूकलल आवशूडकतल है।
- "हेडरकटूस" की अवधलरणल कल डुनरूडूलूडलंकन करूँ और डूरूडूटरूँ डूवलरल डुरुडूडूडू को रूकने के ललतल उडलडूँ को ललगू करूँ। ऐसे सुरकूषल उडलडू डेश करूँ जो डूरूडूटरूँ और वतूतूलीड ःरणदलतललरूँ के डूीक **घलटे कल उकतल वतूतरूण सुनशूकतल करूँ**।
- डलडूलूँ की सूथतलल और डेरी के कलरणूँ डर नडलडतल अडूडेड सुनशूकतल करके सडलधलन डूरूकरूडल डें **डलरदरूशतल** डूडललूँ।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/concerns-over-insolvency-and-bankruptcy-code,-2016>

